न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री बृजमोहन बैरवा आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या: 161/2022/अपील/एलआरएक्ट/कोटा
दायरा दिनांक: 21.9.2022
अन्तर्गत धारा: 75 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

प्रताप सिंह आत्मज चन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी 64 शोपिंग सेन्टर कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

...अपीलांट

बनाम

1. दी स्टेट ऑफ रास्थान
2. नगर विकास न्यास कोटा जरिये सचिव नगर विकास न्यास कोटा।

... रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री सुरेन्द्र कुमार माहेश्वरी अभिभाषक–अपीलांट
पैरोकार सरकार – रेस्पो0 क्रम–1
श्री शभूदयाल विजय अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट क्रम– 2

::निर्णय::

दिनांक 27.6.2024

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 53/2011 (प्रार्थना पत्र) अन्तर्गत धारा 136 एजआरएक्ट उनवान प्रताप सिंह बनाम स्टेट आफ राजस्थान आदि मे पारित निर्णय दिनांक 31.5.2022 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है, कि ग्राम रानपुर तहसील लाडपुरा की ख0नं0 1073 की 35 बीघा 4 बिस्वा भूमि मे से 15 बीघा भूमि दिनांक 13.11.1974 को अपीलांट को आवंटित कर कब्जा सुपुर्द कर दिया था तथा बाद आवंटन नामा0सं0 431 दिनांक 10.8.76 से भूमि अपीलांट की गैरखातेदारी मे दर्ज करदी गई थी। उपखण्ड अधिकारी कोटा से दि0 16.11.77 को आदेश प्राप्त कर कुये के निर्माण हेतु सहकारी भूमि विकास बैंक से लोन लेकर कुये का निर्माण करवाया गया। भूमि अपीलांट के ही कब्जे काश्त मे चली आ रही है। सेटलमेट अधिकारियो ने उक्त भूमि के साथ ख0 नं0 1075, 1078 एंव 1079 की भूमि मिलाकर नया नम्बर 1521 रकबा 18.13 है0 कायम कर राज0 सरकार के खाते दर्ज करदी। उक्त त्रुटि को दुरूस्त करने के लिये अपीलांट ने दिनांक 5.6.98 को धारा 136 एजआरएक्ट के तहत प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी कोटा के समक्ष पेश किया। जिसे जिला कलक्टर कोटा को मुतकिल किया गया। जिला कलक्टर कोटा ने आदेश दिनांक 25.5.2003 को अपीलांट के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। जिसकी अपील न्यायालय हाजा के यहां की गई जिसे भी दिनांक 4.1.2066 से खारिज कर दिये जाने से अपीलांट द्वारा अपील एलआर/2009/06 कोटा राजस्व मण्डल राज0 अजमेर मे पेश की गई। राजस्व मण्डल राज0 अजमेर द्वारा दिनांक 20.7.2009 को निर्णय पारित करते हुये विवादित भूमि के कब्जे के बावत तहसील से रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण का पुनः नियमानुसार निस्तारण करने हेतु प्रकरण जिला कलक्टर कोटा को प्रतिप्रेषित किया

अति. संभा. आयुक्त

गया। राजस्व मण्डल के आदेश की पालना मे प्रकरण न्यायालय जिला कलक्टर कोटा मे जेरकार रहते हुये जिला कलक्टर कोटा ने सन 2013 मे उक्त भूमि को नगर विकास न्यास कोटा को आवंटित कर दिया। जिसके कारण नगर विकास न्यास कोटा को प्रकरण मे पक्षकार सं0 2 बनाया गया है। उप तहसील मण्डाना द्वारा पत्र कमांक/भूअ/2015/161 दिनांक 13.3.2015 से प्रेषित रिपोर्ट मे अपीलार्थी का कब्जा होना बताया गया किन्तु जिला कलक्टर कोटा ने मण्डल के आदेश के विपरीत मात्र कयास के आधार पर अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज करने मे त्रुटि की है। अपीलांट का आवंटन आज तक बहाल है तथा कानूनन अपीलांट भूमि का खातेदार टेनेन्ट बन गया है। प्रस्तुत प्रकरण को सेटलमेट अधिकारियो द्वारा की गई त्रुटि को दुरूस्त करना था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकारो से परे जाकर जेरअपील आदेश पारित कर त्रुटि की है। प्रस्तुत प्रकरण मे यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि प्रकरण मे नगर विकास न्यास कोटा पक्षकार है तथा वर्तमान मे जिला कलक्टर कोटा न्यास अध्यक्ष है तथा न्यास प्रस्तुत प्रकरण मे पक्षकार होने की वजह से जिला कलक्टर भी इस प्रकरण मे बहैसियत पक्षकार थे। इस कारण इस प्रकरण को श्रवण करने का उनको कानूनी अधिकार नही था। इस आधार पर भी आदेश जेरअपील अवैध एंव निरस्तनीय है। अपील स्वीकार कर जिला कलक्टर कोटा का आदेश दिनांक 31.5.2022 खारिज किया जावे तथा अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र मंजूर कर अपीलार्थी के खाते की उक्त आवंटित भूमि 15 बीघा जिसके वर्तमान मे बाद सेटलमेट ख0 नं0 1521 कायम किये गये है वापस अपीलांट के खाते दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई। सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मे वर्णित उपर्युक्त तथ्यों को ही दोहराते हुये अपील स्वीकार कर जिला कलक्टर कोटा का आदेश दिनांक 31.5.2022 खारिज किया जावे तथा अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र मंजूर कर अपीलार्थी के खाते की उक्त आवंटित भूमि 15 बीघा जिसके वर्तमान मे बाद सेटलमेट ख0 नं0 1521 कायम किये गये है वापस अपीलांट के खाते दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया।

4 पैरोकार सरकार रेस्पो0 कम–1 ने जिला कलक्टर कोटा का आलौच्य जेरअपील निर्णय दिनांक 31.5.22 न्यायोचित होना जाहिर करते हुये कथन किया कि वादग्रस्त आवंटित भूमि पर आवंटन के पश्चात आवंटी का कब्जा काश्त नही रहने व मौके पर भूमि पडत होने से दौरोने सेटलमेंट, सेटलमेंट विभाग द्वारा खाता सिवायचक दर्ज किया गया है। राजस्व मण्डल के आदेशानुसार प्राप्त उप तहसील मण्डाना की रिपोर्ट दिनांक 13.3.15 अनुसार उक्त विवादित भूमि नगर विकास न्यास कोटा के खाते दर्ज रेकार्ड है मौके पर उक्त भूमि मे से 2.40 है0 पर अपीलार्थी का कच्ची पत्थरो की कोट कर कब्जा है किन्तु उक्त कृषि भूमि पर आज भी काश्त नही की जा रही है तथा ना ही पूर्व मे कब्जा काश्त करने संबधी कोई दस्तावेज साक्ष्य अपीलार्थी द्वारा पेश किये गये है।

5 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 कम–2 ने अपनी बहस मे प्रकट किया कि विवादित भूमि जिला कलक्टर कोटा के आदेश कमांक प.15 ()/राजस्व–।।।/2008/2224–29 दिनांक 31.3.2008 से ग्राम रानपुर के अन्य खसरा नम्बरान की सिवायचक भूमि के साथ उक्त विवादित आराजी भी आबादी विस्तार हेतु आरक्षित कर नगर विकास न्यास कोटा को कीमतन हस्तान्तरित कर दी गई है। जिसमे कोई कानूनी किसी प्रकार की त्रुटि नही है। अपीलांट के वादग्रस्त आराजी से वर्तमान मे किसी प्रकार से हित प्रभावित होते है तो जिला कलक्टर कोटा के उक्त आदेश को सक्षम न्यायालय मे चुनोती देना चाहिये था किन्तु अपीलांट द्वारा जिला कलक्टर के आदेश को सक्षम न्यायालय मे चुनोती नही दी गई है जिला कलक्टर कोटा का उक्त आदेश आज भी बहाल है तथा वादग्रस्त भूमि वर्तमान मे नगर विकास न्यास कोटा के खाते दर्ज है उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे अपील खारिज किये जाने योग्य है।

6 हमने अपील एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख, राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से प्रकट होता कि वादग्रस्त भूमि भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 13.11.1974 को अपीलार्थी को आवंटित की गई है। आवंटी द्वारा आवंटन पश्चात आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नही करने तथा वर्तमान मे भी भूमि मौके पर पडत होने से सेटलमेंट विभाग द्वारा पडत सिवायचक दर्ज की गई। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना मे एक भी वर्ष मे कब्जा काश्त संबधी राजस्व रेकार्ड प्रस्तुत नही किये जाने अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र को आलौच्य जेरअपील निर्णय दिनांक 31.5.2022 से अस्वीकार कर खारिज किया है।

7 हस्तगत अपील प्रकरण मे अपीलार्थी का मुख्य तर्क है कि उसके द्वारा राजस्व मण्डल राज0 अजमेर मे पेश की गई अपील एलआर/2009/06 कोटा मे पारित निर्णय दिनांक 20.7.2009 के अनुसार विवादित भूमि के कब्जे के बावत तहसील से रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण का पुनः नियमानुसार निस्तारण करने हेतु जिला कलक्टर कोटा को प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया था। राजस्व मण्डल के आदेश की पालना मे प्रकरण न्यायालय जिला कलक्टर कोटा मे जेरकार रहते हुये जिला कलक्टर कोटा ने सन 2013 मे उक्त भूमि को नगर विकास न्यास कोटा को आवंटित कर दिया। उप तहसील मण्डाना द्वारा प्रकरण मे पत्र कमांक/भूअ/2015/161 दिनांक 13.3.2015 से प्रेषित रिपोर्ट मे अपीलार्थी का कब्जा होना बताया गया किन्तु जिला कलक्टर कोटा ने मण्डल के आदेश के विपरीत मात्र कयास के आधार पर अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर त्रुटि की है क्योंकि अपीलांट का आवंटन आज तक बहाल है। प्रकरण मे अपीलांट का यह भी तर्क है कि वादग्रस्त आराजी के प्रकरण मे नगर विकास न्यास कोटा पक्षकार है तथा जिला कलक्टर कोटा न्यास अध्यक्ष है तथा न्यास प्रस्तुत प्रकरण मे पक्षकार होने की वजह से जिला कलक्टर भी इस प्रकरण मे बहैसियत पक्षकार थे। इस कारण इस प्रकरण को श्रवण करने का उनको कानूनी अधिकार नही था। इस आधार पर भी आदेश जेरअपील अवैध एंव निरस्तनीय है। अपीलांट द्वारा प्रकरण मे कथन किये गये उक्त तथ्य प्रथम दृष्टया कानूनी होना प्रकट होता है जिसे नजरंअदाज नही किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील आदेश पारित करते समय उक्त तथ्यों पर कोई गौर नही किया ऐसी स्थिति मे हम अधीनस्थ न्यायालय के जेरअपील आलौच्य निर्णय दिनांक 31.5.2022 को विधिसम्मत नही पाते है। फलत् अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर कोटा द्वारा पारित आलौच्य जेरअपील निर्णय 31.5.2022 अपास्त किया जाकर प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

8 परिणामस्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर कोटा द्वारा पारित आलौच्य निर्णय दिनांक 31.5.2022 अपास्त किया जाता है प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर द्वारा पारित निर्णय मे दिये गये दिशा–निर्देशो की पालना करते हुये उपरोक्त विवेचित तथ्यों पर अपना स्पष्ट एंव विधिसम्मत अभिमत प्रकट करते हुये उभय पक्षकारान को विधिवत सुनवाई एंव पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुये पुनः नये सिरे से प्रकरण मे निर्णय पारित करे।

9 निर्णय आज दिनांक 27.6.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा